कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1820 /15–1 दिनांक, झांसी, नवम्बर 09 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम, उरई ।

विषयः– जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में जनपद जालौन की प्रभावित 4.7727 हे0 संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी की 0.006 हे0 संरक्षित एवं 0.75 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 0.756 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्य एवं 20 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 5.5287 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु ।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–प्रस्ताव सं0 8B/UP/06/155/2022/FC/667, Date 03.11.2022
प्रस्ताव सं0 FP/UP/Water/155109/2022, दिनांक 26.07.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या/वचनवद्वता अभिलेख 05–05 प्रतियों में शील्ड व हस्ताक्षर सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 2 के अनुपालन में झांस वन प्रभाग की बामौर रेंज के अन्तर्गत बैंदा ब्लाक की 1.512 हे0 अवनत वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि रू0 281420.00 (मु0 दो लाख इक्यासी हजार चार सौ बीस रू0 मात्र) एवं शर्त सं0 4 के अनुपालन में झांसी वन प्रभाग की प्रभावित आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि 0.756 हे0 की एन0पी0वी0 की आगणित धनराशि 724082.00 (मु0 सात लाख चौबीस हजार ब्यासी रू0 मात्र) इस प्रकार शर्त सं0 2 व 4 की कुल धनराशि 281420.00+724082.00 = 1005502.00 (दस लाख पाँच हजार पाँच सौ दो रू0 मात्र) कैम्पा नई दिल्ली के खाते में ई–पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से जमा कर जमा रसीद की पाँच (रंगीन फोटोकॉपी) प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित की जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 824 / 33–1 / उरई, दिनांक नवम्बर 11 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) उरई।

विषयः– जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे0 संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे0 एवं 0.75 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात कुल 5.5287 हे0 वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 8बी/यूपी0/08/155/2022/एफसी./667 दिनांक 03.11.2022 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 775/33–1 दिनांक 07.11.2022।**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्ति स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या/वचनवद्धता अभिलेख 05–05 प्रतियों में शील्ड व हस्ताक्षर सहित शीध्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 2 के अनुालन में उरई वन प्रभाग की एट रेंज की सला वन ब्लाक की 1.12 हे0 अवनत वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आगणिरत धनराशि रू0 196874.00 (मु0 एक लाख छियानवे हजार आठ सौ चौहत्तर रू0) एवं शर्त सं0 4 के अनुपालन में उरई वन प्रभावित आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि 4.7727 हे0 की एन0पी0बी0 की आगणित धनराशि 4571200.00 (पैतालीस लाख इक्हत्तर हजार दो सौ रूपये मात्र) इस प्रकार शर्त सं0 2 व 4 की कुल धनराशि 196874.00 + 4571200.00 = 4768074.00 (सेतालीस लाख अरसठ हजार चौहत्तर रू0 मात्र) कैम्पा नई दिल्ली के खाते में ई–पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से जमा कर जमा रसीद की पांच (रंगीन फोटोकॉपी) प्रतियॉ एवं बिन्दुबार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु बिन्दुबार अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित की जा सके। उक्त प्रस्ताव की सैद्धन्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– परियोजना प्रवंधक, जीवीपीआर सला पेयजल परियोजना जनपद जालौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: ro.lko-mef@nic.in

8 बी/यूपी0/03/155/2022/एफ0सी0 1667

सेवा में,   दिनांक : 03.11.2022

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Water/155109/2022

विषय: उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे0 संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.003 हे0 एवं 0.75 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.5207 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्र 1472/11–सी–FP/UP/Water/155109/2022, लखनऊ दिनांक–21.10.2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक पी–195/81–2–2022–800(182)/2022, दिनांक–30.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने निम्नांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक 20.10.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 70.4-UP) शामिल किया गया था। बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे0 (4.7727 हे0 संरक्षित वन भूमि में से केवल 0.56 हे0 संरक्षित वन भूमि का पूर्व में आवर्जन नहीं हुआ है।) संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे0 एवं 0.75 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation in an area of 1.512 ha. in Reserve Forest land of Bainda Forest Block at Bamaur Range, District-Jhansi and 1.12 ha. in Sala Forest Block in Jaloun Social forestry Division at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.

3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 5.5287 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.
Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

Scanned with OKEN Scanner

final amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect

6. User agency shall restrict the felling of trees to 20 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.

10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

12. No labour camp shall be established on the forest land.

13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

19. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

20. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

23. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

24. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

Scanned with OKEN Scanner

...after receipt of compliance report on fulfilment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (मेल द्वारा):

1. ... वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एचओएफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी-अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम, उरई।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

03/11/2022

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1519 /11-सी-FP/UP/water/155109/2022, लखनऊ, दिनाँकः नवम्बर 04, 2022

प्रतिलिपिः- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन एवं झांसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुए सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, उरई को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।